सं. 133]
No. 133]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2006/भाद्र 14, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2006/BHADRA 14, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 31 अगस्त, 2006

सं. टीएएमपी/56/2005-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, हल्दिया स्थित कोलकाता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु, कोलकाता पत्तन न्यास के प्रस्ताव से संबद्ध प्रकरण को संलग्न आदेशानुसार खत्म करता है ।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी /56/2005- केओपीटी

कोलकत्ता पत्तन न्यास (केओपीटी) — आवेदक

आदेश

(अगस्त 2006 के 23वें दिन पारित)

यह प्रकरण हल्दिया स्थित कोलकत्ता पत्तन न्यास की भूमि और भवनों की किराया-अनुसूची के संशोधन हेतु, कोलकत्ता पत्तन न्यास (केओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबन्धित है।

2. कोलकत्ता पत्तन न्यास से सितंबर 2005 में प्राप्त प्रस्ताव को एक प्रशुल्क प्रकरण के रूप में पंजीकृत किया गया था और निर्धारित सामान्य परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उसपर कार्रवाई की गयी थी। केओपीटी ने दिनांक 20 मार्च 2006 को प्राधिकरण के कार्यालय में संदर्भित प्रकरण पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। दिनांक 29 मार्च 2006 को संदर्भित प्रस्ताव पर एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गयी थी। संयुक्त सूनवाई के अवसर पर अध्यक्ष (केओपीटी) ने यह अनुरोध किया कि प्रस्तुतीकरण के दौरान की गयी टिप्पणियों की दृष्टि से प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए कुछ अधिक समय प्रदान किया जाय।

3. अब केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 25 जूलाई 2006 द्वारा अन्य बातों के साथ, निम्नांकित भी सूचित किया है:-

(i). केओपीटी, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित भूखण्ड नीति दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप तथा महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों की दृष्टि से, हल्दिया और कोलकात्ता में स्थित केओपीटी भूमि और भवनों का नया मूल्यांकन आरंभ करेगा और एक नया संशोधित प्रस्ताव दाखिल करेगा।

(ii). उसके दिनांक 16 सितंबर 2005 के संदर्भित प्रस्ताव को समाप्त माना जाय।

(iii). हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि तथा भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को संशोधन तक विस्तारित किया जाय।

4.1. चूँकि केओपीटी ने, भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये भूखंड नीति दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों की दृष्टि से, हल्दिया और कोलकत्ता में स्थित अपनी भूमि और भवनों का नया मूल्यांकन करने का निर्णय ले लिया है, यह प्राधिकरण संदर्भित प्रकरण को खत्म करने तथा केओपीटी के दिनांक 16 सितंबर 2005 के प्रस्ताव को वापिस लिया मानने के लिए इच्छुक है। केओपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव, प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की अधिसूचना तिथि से 90 दिन के अंतर्गत दाखिल करें।

4.2. इस प्राधिकरण ने, हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि तथा भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को, 31 दिसंबर 2005 के आगे, हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु , दिनांक 16 सितंबर 2005 के प्रस्ताव से संबन्धित प्रकरण में पारित किये जानेवाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, विस्तार प्रदान करते हुए दिनांक 27 दिसंबर 2005 को एक आदेश पारित किया था। चूँकि यह प्रकरण खत्म किया गया है हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की किराया अनुसूची की वैधता को, विस्तार प्रदान करना आवश्यक है। चूंकि केओपीटी को हल्दिया स्थित अपनी भूमि और भवनों के साथ-साथ कोलकाता स्थित अपनी भूमि और भवनों का भी नए सिरे से मूल्यांकन करना है, यह प्राधिकरण केओपीटी के हल्दिया स्थित भूमि और भवनों के किराए की अनूसुची की वैधता, इस आदेश की अधिसूचना की तिथी से, अधिकतम 6 माह के लिए विस्तारीत करने को प्रवृत्त है ।

4.3. भारत सरकार के पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने, केओपीटी समेत सभी महापत्तनों के लिए संशोधित भूखंड नीति दिशा-निर्देश घोषित किए हैं। संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी महापत्तनों में पट्टा किरायों को विनियमित करने के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी भूमि नीति निर्देशों का प्राधिकरण द्वारा पालन किया जाने की अपेक्षा करते हैं। केओपीटी में भूमि के आबंटन हेतु वर्तमान दरमान में कुछ सशर्तताओं को भूमि नीति संबंधी घोषणा के प्रकाश में संशोधित करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी भूमि तथा भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु केओपीटी द्वारा दाखिल किया जानेवाला प्रस्ताव इस प्राधिकरण द्वारा पारित (किये जानेवाले) आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, केओपीटी को भूखण्ड नीति मार्गदर्शनों में निर्धारित शर्तों का क्रियान्वयन करना चाहिए। तदनुसार, हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों के आबंटन की किराया अनुसूची में प्रचलित सशर्तताएँ तथा कोलकत्ता की भूमि के आबंटन से संबद्ध दरमान, उस सीमा तक संशोधित मान लिए जाएंगे जिस सीमा तक ऐसी सशर्तताएँ सरकार द्वारा जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों से असंगत या भिन्न होंगे। केओपीटी को निर्देशित किया जाता है कि वह निम्नलिखित सामान्य टिप्पण को अपनी किराया अनुसूची तथा दरमान में समाविष्ट करें।

> "अभिव्यक्त की गयी सभी शर्तें/टिप्पणियाँ उस सीमा तक लागू होंगे जिस सीमा तक वे सरकार द्वारा घोषित फरवरी 2004 की भूमि नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तों से असंगत नहीं है। अगर मतभेद हुआ तो सरकार द्वारा भूमि नीति मार्गदर्शियों में निर्धारित शर्तें प्रचलित होंगी।"

5. परिणामस्वरूप, ऊपर दिये गये कारणों से तथा समस्त विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण, इस प्रकरण को वपिस लिए गए के रूप में खत्म करने को निर्णय लेता है तथा हल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों की वर्तमान किराया अनुसूची की वैधता को, छः माह की अवधि के लिए अथवा कोलकत्ता और हल्दिया की केओपीटी भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन हेतु केओपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहले हो विस्तारित करता है। केओपीटी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से 90 दिन के भीतर अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करें।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2006/असा.]